<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :– 57/2023

बउनवान

छोटूलाल पुत्र फूलचन्द जाति मीना निवासी बंजारी तहसील छीपाबडौद

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद

(रेस्पोडेन्ट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थित :– 1. श्री गजेन्द्र कुमार नागर अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

<u>निर्णय दिनांक 20.06.2023</u>

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 499/2020 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बंजारी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2077 मे खसरा नम्बर 88 की रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 125/– रूपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 22.03.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक [illegible] किया कि अपीलांट ने उक्त विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नही कि[illegible] है। [illegible] न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उ[illegible] तथ्यों एवं सा[illegible] के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवा[illegible] स्वतंत्र साक्ष्य [illegible] पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की [illegible]उपस्थिति में एकपक्षीय [illegible] निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलांट का सरकारी तावान भी बकाया नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधी. न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 499/2020 में तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:45:32 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर कब्जा किया जाकर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 535 में पारित निर्णय की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2077 में भी इसी आराजी पर किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी में अनुपस्थित रहा है। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है कि अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 374/2022 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार, छीपाबडौद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **20.06.2023** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:45:32 IST
Reason: SelfAttested